



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05092023-248570
CG-DL-E-05092023-248570

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 515]
No. 515]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 5, 2023/भाद्र 14, 1945
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 5, 2023/BHADRA 14, 1945

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2023

संख्या 53/2023-सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 656(अ).- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) और सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 50/2017 सीमा-शुल्क, तारीख 30 जून, 2017 जो संख्यांक सा.का.नि. 785(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, का और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, -

I. सारणी में, -

(1) क्र.सं. 21च और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(2) क्र.सं. 24कक और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(3) क्र.सं. 32ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

II. तालिका के बाद, पहले परंतुक में, "21ग, 21घ, 21ङ, 24क, 24ख, 26क, 32क, 177, 177ख, 249क, 250क, 371क, 371ख, 376क, 377क और 377कक" अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "177, 250क, 371क, 371ख, 376क, 377क और 377कक" अंकों और अक्षरों को प्रतिस्थापित किया जायेगा;

2. यह अधिसूचना 6 सितम्बर, 2023 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/164/2023-टीआरयू]

अम्रीता टाइटस, उप सचिव

टिप्पण:- मूल अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी, और अंतिम बार अधिसूचना सं.52/2023-सीमाशुल्क, तारीख 5 सितम्बर, 2023 द्वारा संशोधित की गई थी, जो संख्यांक सा.का.नि. 653 (अ) तारीख 5 सितम्बर, 2023 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2023

No. 53/2023-Customs

G.S.R. 656(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

I. in the Table, -

- (1) S. No. 21F and the entries relating thereto shall be omitted;
- (2) S. No. 24AA and the entries relating thereto shall be omitted;
- (3) S. No. 32B and the entries relating thereto shall be omitted;

II. after the Table, in the first proviso, for the figures and letters "21C, 21D, 21E, 24A, 24B, 26A, 32A, 177, 177B, 249A, 250A, 371A, 371B, 376A, 377A and 377AA", the figures and letters "177, 250A, 371A, 371B, 376A, 377A and 377AA" shall be substituted;

3. This notification shall come into force on the 6th Day of September, 2023.

[F. No.190354/164/2023-TRU]

AMREETA TITUS, Dy. Secy.

Note: The principal notification No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017 and was last amended *vide* notification No. 52/2023-Customs, dated the 5th September, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R. 653 (E), dated the 5th September, 2023.